न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी — मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 83/2016 **दायर तारीख :—** 04.08.2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. नरेन्द्र कुमार } पुत्रान धूणी लाल जाति मीणा निवासी श्यामपुरा
2. देवेन्द्र कुमार } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भजनलाल उर्फ मुकेश } पुत्रान मिटूराम जाति मीणा
2. जगदीश } निवासी श्यामपुरा, तहसील विराटनगर
3. जंगली राम
4. तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्थायी सीमा निर्धारण

उपस्थित : श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 19.04.2018

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 950/0.22 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं की जानकारी होते हुए भी आये दिन प्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से गलत तरीके से प्रार्थीगण की भूमि को दबाने का प्रयास करते रहते है। प्रार्थीगण ने परेशान होकर तहसीलदार के सक्षम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.06.2016 को सीमाज्ञान मौके पर करवा लिया है, अप्रार्थीगण ने उक्त सीमाज्ञान को मानने से साफ इन्कार कर दिया है। इसलिए प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि ग्राम श्यामपुरा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 950/0.22 हैक्टेयर की सीमा का सही विनिश्चयकरण एवं सीमांकन करवाते हुए मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2069–2072, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 29.06.2016 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 950/0.22 हैक्टेयर की खातेदारी अन्य खसरा नम्बरान के साथ प्रार्थीगण नाम दर्ज रिकार्ड है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीगण ने दिनांक 09.06.2016 को तहसीलदार विराटनगर के आदेश से सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित भूमि वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नम्बर 950/0.22 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर